

588

(18)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

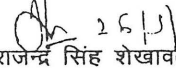
क्रमांक प.3(77)नवि/3/2010 पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक :- **15 MAY 2016**

आदेश

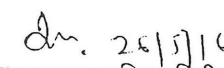
पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 26.08.2015 व 11.03.2016 के द्वारा सभी प्रकार की ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य उपयोगों हेतु जारी एकल पट्टा प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया था तथा 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य उपयोगों हेतु जारी एकल पट्टों के प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि नियमानुसार लिये जाने का प्रावधान किया गया था।

उक्त की निरन्तरता में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि दिनांक 26.08.2015 से पूर्व यदि जे-आउट प्लान स्वीकृत है तथा पट्टा अब जारी किया जा रहा है, तो नियमानुसार 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के सभी उपयोग के एकल पट्टों के प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र निशुल्क समर्पित कराने के पश्चात् पट्टा जारी किया जावे एवं तदनुसार जे-आउट प्लान अनुमोदित किये जावे तथा 2 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल के प्रकरणों में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य आरक्षित दर पर राशि नियमानुसार जमा कराने पर ही पट्टा जारी किया जावे।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बायत.....।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय